

## पर्यावरण संरक्षण – एक सनुहरा कदम

Dr. Archana Kumari

Assistant Professor, Department of Psychology, Gopinath Singh Mahila Mahavidyalaya, Garhwa, Jharkhand

**सारांश :-** पर्यावरण संरक्षण आज विश्व की सर्वाधिक ज्वलन्त समस्या है जिसकी चपेट में विश्व का प्रत्येक देश आता जा रहा है। भारत में भी यह समस्या प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है। औद्योगिक एवं तकनीकी प्रगति, रसायनों के उपयोग में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि एवं शहरीकरण आदि के कारण वर्तमान में पर्यावरण का संतुलन विगड़ता जा रहा है। पर्यावरण असंतुलन—मात्र वर्तमान समस्या ही नहीं है अपितु भविष्य में और भी हानिकारक होंगे। प्राचीन काल में पर्यावरण असंतुलन की समस्या वर्तमान की भाँति विकराल नहीं थी। पर्यावरण के संबंध में ऋशियों और मुनियों का चिन्तन व्यवहारिक वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण था। वेदो पुराणों, स्मृतियों, महाकाव्यों प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रकृति संरक्षण को महत्व दिया गया है। मनुस्मृति के अनुसार अगर कोई हरे पेड़-पौधों की कटाई करता है तो उसे समाज से वहिष्कृत किया जाता था। वृक्ष की लताओं व उनकी शाखाओं को काटते थे तो उनको सजा दी जाती थी।<sup>1</sup> अतः पर्यावरण संरक्षण की भावना प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्तमान में वैज्ञानिक उपलब्धियों से मानव प्राकृतिक संतुलन को उपेक्षा की दृष्टि से दे रहा है। वह असीमित प्रगति और नये-नये आविष्कार करना चाह रहा है। जिससे प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन हो रहा है और पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग एवं ब्लैक होल इफ़ैक्ट के दुष्परिणाम को आज विश्व देख रहा है। अतः संसाधनों का उचित उपयोग कर पर्यावरण को सुरक्षित रखना आज की प्रमुख समस्या है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों को रोकना, विनाश रहित विकास के उपाय, संसाधनों का नवीनीकरण, जैविक तथा अजैविक संसाधनों का उपयोग नियंत्रित एवं विवेकपूर्ण हो के प्रयास आवश्यक है। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए लोगों में पर्यावरण बोध एवं जन-चेतना, पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध, उत्पादन तकनीक एवं संसाधन प्रबंधन, विज्ञान और शैक्षिक कुशलता का विकास पर्यावरणीय अवनयन तथा प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन, राजनीतिक प्रशासनिक सहयोग एवं सांस्कृतिक आयामों का नियंत्रण का ज्ञान होना भी आवश्यक है। सरकार द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न तरह के प्रयास किया जा रहे तथा संसद द्वारा अनेक प्रकार के

अधिनियम बनाये गये हैं। जिसका पालन सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है तभी हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं और आने वाले पीढ़ियों को एक स्वस्थ एवं सुरक्षित पर्यावरण का उपहार दे सकते हैं।

**प्रस्तावना :-** पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के "परि" उपसर्ग (चारो ओर) और आवरण से मिलकर बना है जिसका अर्थ है ऐसी चीजों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवृत किये हुए हैं अर्थात् "परितः आवरण पर्यावरणम्।"

साधारणतः पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप जीवन एवं जीविता को तय करते हैं। वास्तव में पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारो तरफ वह व्याप्त होता है। जिसमें स्थलमण्डल, जलमण्डल, वायुमण्डल एवं जैवमण्डल को सम्मिलित किया जाता है।

जे.एस.रास के अनुसार—"पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है।" पार्क सी. सी<sup>2</sup> के शब्दों में मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है, उसे पर्यावरण कहते हैं।

अमेरिकी मानव शास्त्री डॉ० हर्सकोबिटज<sup>3</sup> के अनुसार वातावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग जो कि किसी प्राणी के विकास व क्रियाओं को प्रभावित करते हैं।

**भारतीय संस्कृति में पर्यावरण :-** भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के अनेक घटकों जैसे – वृक्ष, पीपल, वट इत्यादि को पवित्र मानकर इनकी पूजा की जाती है। जल, वायु, अग्नि को देवता का दर्जा प्राप्त है। गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी और नर्मदा जैसी नदियों को पवित्र मानकर पूजा की जाती है। धरती को भी माता के रूप में पूजा की जाती है। इसी तरह से प्राचीन काल से ही भारत में पर्यावरण के विविध स्वरूपों की पूजा की जाती है। जिसका मूल उद्देश्य है कि इन्हें संरक्षित किया जाय।

वैदिक काल में वृक्ष रक्षा आदि को मानव कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया है। इस काल में प्रकृ

ति को वन्दनीय मानकर आघात पहुँचाना धर्म विरोधी माना जाता था। यही भावना पर्यावरण संतुलन को दृढ़ता प्रदान करती है। जिसके फलस्वरूप मनुष्य प्रकृति के सुरम्य वातावरण में कुदरती तरीके से निवास करता था। प्राचीनतम ग्रंथ अथर्ववेद के मंत्र माताभूमिः पुत्रोऽहं पुथिव्याः<sup>4</sup> के अनुसार भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। इसलिए पृथ्वीवासियों को चाहिए कि वह पृथ्वी को अपनी मां समझकर पवित्र भावना से इसकी सेवा तथा रक्षा करें।

वृक्षों का पर्यावरण में महत्व को उल्लेखित करते हैं ऋग्वेद में यह मंत्र अंकित है।

**"आप औषधीरुप नोऽवस्तु, दयौर्वना गिरयो  
वृक्षकेशाः**

**श्रणोत न ऊर्जा पतिर्गिरः स नमस्तरीयां हषिरः  
परिज्मा।**

**शृन्वन्त्वापः पुरा न शुभ्राः परि स्त्रुचो  
बवृहागस्योद्रः।"<sup>5</sup>**

**भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है –  
पश्यैतान् महाभागान् पराबैकान्त जीवितान्।  
वातवर्षातिपहिमान् सहन्तरे वारयन्ति नः।<sup>6</sup>**

अर्थात् ये वृक्ष कितने भाग्यशाली हैं जो परोपकार के लिए जीते हैं। इनकी महानता है कि ये धूप-ताप, आँधी वर्षा को सहन कर हमारी रक्षा करते हैं। यजुर्वेद में भी जल एवं वनस्पतियों को हानि न पहुँचाने के लिए यह मंत्र उद्धृत किया गया है –

**मापो मौषधीहि ऊँ सीर्धाम्नोः राजस्ततो नो मुंच।<sup>7</sup>**

इसी तरह उपनिषद में कहा गया है "रक्षय प्रकृति पातुं लोकाः" अर्थात् मानव की रक्षा के लिए प्रकृति की रक्षा की जाए। चरक संहिता में भी वनों के विनाश को राष्ट्र एवं व्यक्ति के कल्याण के लिए भयावह मानती है।

**वि गुणवपितु खलुएतेषु जनपदोर्ध्वंशन  
करेपुभावेषु जेनोपपाय मानाना न भयं भवति  
रोगम्यशति।<sup>8</sup>**

**गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपनी पुस्तक**

**"रामचरित मानस" में लिखा है—**

**"क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पंच रचित्र  
अधि अधम शरीरा"<sup>9</sup>।।**

जो स्पष्ट करता है कि उक्त पंचतत्त्व ही इस ब्रह्माण्ड में सृष्टि का निर्माण करता है। भारतीय दर्शन तथा योग में पृथ्वी (क्षिति) जल, अग्नि (ताप), वायु

(पवन) एवं गगन (शून्य) को पंचतत्त्व या पंचमहाभूत कहा जाता है।

मत्स्यपुराण के अनुसार एक वृक्ष को दश पुत्रों के समान मानता है तथा उसे पुत्र से भी अधिक महत्व देता है।

**दशकूपसमा वापी दशवापीसमो हृदः।**

**दशहृदसमः पुत्रो दशपुत्रसमा द्रुमः।<sup>10</sup>**

वनों में निवास करने वाले आदिवासी लोगों का पर्यावरण के प्रति आदर एवं स्नेह सभ्यता की शुरुआत से ही रही है। वे लोग वास्तव में प्रकृति में देवरूप का दर्शन पाते हैं। इनके संस्कृति में प्रकृति का मानवीकरण करके नदियों और जलाशयों को दिव्यदेव शक्तियों का प्रतीक माना गया है।

इस तरह भारतीय संस्कृति में प्रकृति का आराधना करना तथा पर्यावरण का संरक्षण करना हमारी पुरानी परम्परा रही है।



**पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता :-** वर्तमान युग विज्ञान के असीमित प्रगति एवं नये आविष्कारों का है। आज का मनुष्य प्रकृति पर पूर्णतया विजय प्राप्त करना चाहता है। वैज्ञानिक उपलब्धियों से मानव प्राकृतिक संतुलन को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। दूसरी ओर पृथ्वी पर जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि, औद्योगीकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति से प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है। मानवीय क्रिया-कलापों के कारण प्रकृति के वे घटक जिनसे जीवन का उद्भव एवं विकास होता था जैसे-जल, मृदा, वायु और भूमि आदि प्रदूषित हो गयी है। प्रदूषण के कारण अनेकों जीव लुप्त होते जा रहे हैं जिससे पर्यावरण का संतुलन विगड़ता जा रहा है। रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा अम्लीय होती जा रही है। अतः पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक दोनों ही घटकों का संरक्षण अनिवार्य हो गया है। संसाधनों का मनमाना, अन्धाधुन्ध दोहन एवं इसका

अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। जलवायु परिवर्तन, ग्रीनहाउस के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक हाल इफैक्ट इसी का परिणाम है। इस तरह हम विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विश्व को इन सभी चुनौतियों से परिचित होना आवश्यक है ताकि उनके द्वारा किया गया कार्य पर्यावरण के अनुकूल हों। इनमें कुछ मुख्य चुनौतियां निम्नांकित हैं –

**1. जनसंख्या वृद्धि :-** आज जनसंख्या करीब 2.11 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है। 17 लाख से अधिक लोग प्रतिवर्ष जुड़ रहे हैं। जो अपने प्राकृतिक संसाधनों पर काफी दबाव डाल रहे हैं और विकास के लाभ को कम कर रहे हैं। इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है जनसंख्या वृद्धि को सीमित करना। जनसंख्या नियंत्रण स्वचालित रूप से विकास के लिए नेतृत्व करता है। इसके लिए महिलाओं का विकास आवश्यक है।

**2. गरीबी :-** भारत को अक्सर गरीब लोगों का एक अमीर देश कहा जाता है। गरीबी और पर्यावरण क्षरण के बीच एक गहरा संबंध है। हम खाद्य, ईंधन, आश्रय और सारे की बुनियादी जरूरतों के लिए देश की प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर हैं। लगभग 40 प्रतिशत लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। पर्यावरण क्षरण ने उन लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है जो अपने तत्काल आस-पास के संसाधनों पर निर्भर हैं। इस प्रकार गरीबी की चुनौति और पर्यावरण क्षरण की चुनौति एक ही चुनौति के दो पहलू हैं। जनसंख्या वृद्धि अनिवार्य रूप से गरीबी का एक नतीजा है।

**3. कृषि विकास :-** लोगों को पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने बिना कृषि विकास के तरीकों से अवगत होना चाहिए। अधिक उपज देने वाली किस्मों से मिट्टी की भौतिक संरचना और मिट्टी की लवणता को नुकसान होता है।

**4. भूजल का समुचित उपयोग :-** भूजल के उपयोग को युक्ति संगत बनाना आवश्यक है। समुदाय अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों जैसे कारकों ने हमारे सतही जल एवं भूजल की गुणवत्ता को प्रदूषित करते हैं। इसलिए नदियों और जल निकायों जैसे क्षीलों के पानी की गुणवत्ता को बनाये रखना एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण चुनौती है।

**5. विकास और जंगल :-** पानी की बढ़ती मांग के साथ बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से नदियों का दोहन करने की योजना बनायी गयी है। इससे

जंगल डूब जाएंगे, स्थानीय लोग विस्थापित हो जाएंगे वनस्पतियों और जीवों को क्षति होगी जैसे नर्मदा नदी, भागीरथी आदि पर बांध राजनीतिक और वैज्ञानिक बहस के क्षेत्र बन गए हैं। भारतवर्ष में वन कृषि और अन्य उपयोगों के दबाव के कारण सिकुड़ता जा रहा है। कभी हरे विशाल क्षेत्र, आज बंजर भूमि के रूप में खड़े हैं। वन विभाग के आधुनिक ज्ञान एवं कौशल को स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और अनुभव के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, जंगलों के संयुक्त प्रबंधन के लिए रणनीति को एक सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाना चाहिए।

**6. भूमि का दोहन :-** वर्तमान में जमीन के कुल 329 mha में से केवल 266 mha उत्पादन योग्य है। इसमें लगभग 143 mha कृषि भूमि है और 85 अलग अलग तरह के मिट्टी विभिन्न कारण से ग्रस्त है। शेष 123 mha में से 40 mha पूरी तरह से अनुत्पादक है।

**7. संस्थानों का पुनरभिव्यक्त :-** लोगों को आज की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप, संस्थानों, व्यवहार और ढांचे के आधार के लिए जगाया जाना चाहिए। यह परिवर्तन संसाधन प्रबंधन और शिक्षा आदि के लिए भारत की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए लाना चाहिए।

**8. आनुवंशिक विविधता की कमी :-** आनुवंशिक विविधता के संरक्षण हेतु उचित कदम उठाना अत्यन्त ही आवश्यक है क्योंकि इसमें कमी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जीवमंडल रिजर्व आदि जैसे संरक्षित क्षेत्र आबादी को अलग कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ समुह प्रजनन के परिवर्तन को कम कर रहे हैं। आनुवंशिक विविधता में कमी के जाँच के लिए सुधारात्मक कदम उठाना आवश्यक है।

**9. शहरीकरण के दुष्परिणाम :-** भारत में लगभग 27 फीसदी लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। शहरीकरण और औद्योगीकरण ने एक बड़ी संख्या में पर्यावरण की समस्याओं को उत्पन्न किया है। अधिकांश शहरों में सीवरेज का पर्याप्त सुविधा देखने को नहीं मिलती और न ही उपचार की सुविधा है। इस तरह से तेजी से हो रहे शहरीकरण का मुकाबला करना एक बड़ी चुनौति है।

**10. वायु एवं जल प्रदूषण :-** औद्योगिक संयंत्रों से उत्पन्न होने वाले गैस एवं कचरे वायु एवं जल प्रदूषण के कारण बनते हैं। क्योंकि इन कचरों का उचित प्रबंधन नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों

रुपों से अपशिष्ट हमारे स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके 22 प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। अतः संसाधनों का सदुपयोग कर पर्यावरण का सुरक्षित रखना आज की प्रमुख समस्या हो गयी है।

**पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य :-** संरक्षण का मूल उद्देश्य है कि विश्व में पाये जाने वाले समस्त प्रकृतिक संसाधनों का इस कुशलता से उपयोग करे कि वे बेकार में समाप्त न हो तथा इससे पर्यावरण असन्तुलित न हो। अतः बुद्धिमानी पूर्वक संसाधनों के सदुपयोग करें जिससे कि मानव जाति वे संसाधनों का अस्तित्व अपने स्थान पर बनाये रखे। ताकि विश्व का प्रत्येक जीव जन्तु स्वस्थ वातावरण में सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके।

**पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रबंधन :-** पर्यावरण संरक्षण हेतु इसके प्रकार जैसे—जल संरक्षण, मृदा, संरक्षण, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान देना अत्यन्त ही आवश्यक है। इनके संरक्षण हेतु निम्नांकित तथ्यों पर विचार करते हुए प्रयास करना आवश्यक है।

- पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों को रोकना जिससे कि मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा जैविक तंत्र भी सुरक्षित रहें।
- विनाश रहित विकास के उपाय सोचना
- संसाधनों का उपयोग ऐसे किया जाय ताकि उसका नवीनीकरण होता रहे।
- जैविक तथा अजैविक संसाधनों का उपयोग नियंत्रित तथा विवेकपूर्ण हो।
- पुनः चक्रीकरण में बाधा उत्पन्न करने वाली क्रियाओं पर निश्चित क्षेत्रों में प्रतिबन्ध करना।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए निम्नलिखित आठ (8) पक्षों पर ध्यान देना जरूरी है जिसे आधारी पक्ष कहा जाता है।

- पर्यावरण बोध एवं जन-चेतना।
- पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध।
- उत्पादन, तकनीक एवं संसाधन प्रबंधन।
- विज्ञान और शैक्षिक कुशलता का विकास।
- पर्यावरणीय अवनयन तथा प्रदूषण नियंत्रण।
- पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन।
- राजनीतिक-प्रशासनिक सहयोग।
- सांस्कृतिक आयामों का नियंत्रण।

पर्यावरण प्रबंधन योजना में आदर्श रूप से निम्नलिखित बातों को सम्मिलित करना भी आवश्यक है।

- पर्यावरण के प्रबंधन के लिए प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्था। प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य संगठनों एवं सरकारी अधिकारियों के साथ प्रस्तावित संस्थागत व्यवस्था।
- पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन के लिए स्व-निगरानी का तंत्र।
- विकास प्रक्रिया में पर्यावरण-प्रबंधन योजना को एकीकृत करना, प्राकृतिक संसाधनों जैसे—जल, भूमि, उर्जा आदि के उपयोग को कम करने के उपाय और पुनः उपयोग तथा पुनर्चर्कण का प्रावधान करना।
- विभिन्न घटकों/अनुभागों के लिए प्रस्तावित विभिन्न शमन या कम करने के उपायों तथा पर्यावरणीय लेखा परीक्षण करना।
- पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना और विभिन्न पर्यावरणीय घटकों के लिए प्रोटोकाल तैयार करना।

जब पर्यावरण संरक्षण के तरीके की चर्चा की जाती है तो इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट पब्लिक अवेयरनेस, प्रदूषण नियंत्रण एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विशेष महत्व दिया जाता है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया और 19 नवम्बर 1986 को लागू किया गया था जिसमें चार अध्याय तथा 26 धाराएं हैं। इसे पारित करने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किये गये प्रयासों को भारत में कानून बनाकर लागू करना है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित अधिनियम भी बनाए गए हैं।

- वायु (प्रदूषण अधिनियम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981।
- जल (प्रदूषण अधिनियम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1977।
- वन संरक्षण अधिनियम 1980।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972।
- जैविक विविधता अधिनियम 2002।
- राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001।
- पौधा किस्म और कृषक अधिनियम संरक्षण अधिनियम 2001।
- ओजोन परत क्षरण अधिनियम 2000।

पर्यावरण शिक्षण को नया रूप देने के लिए 1972 में "मानव पर्यावरण संगोष्ठी" से प्रारम्भ हुई थी। यह गोष्ठी स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में आयोजित

किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक **UNESCO** तथा संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (**UNDP**) द्वारा 1975 में पर्यावरण शिक्षा नामक कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। हमारे देश में भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (**NCERT**) द्वारा पर्यावरण शिक्षण पाठ्यक्रम एवं पुस्तकें तैयार किया गया है। पर्यावरणीय अध्ययन, संरक्षण और उससे संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं।

**बजटीय प्रवधान (वर्ष 2023 –2024) :-** पर्यावरण संरक्षण हेतु साल 2023–24 के बजट में भारत सरकार ने कई कदम उठाए गए हैं जैसे हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम इत्यादी तथा कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिए उनके राशि में बढ़ोतरी कई गई है। वर्ष 2023–24 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 3,079 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जो 2022–23 के संशोधित अनुमान से 24 प्रतिशत अधिक है।<sup>11</sup>

सन् 1991 में भारत के उच्चतम न्यायालय में श्री एम.सी. मेहता द्वारा दायर एक जनहित याचिका में सरकार को जनसाधारण एवं भारत के समस्त नागरिकों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करने एवं पर्यावरण संरक्षण के उपाय करने के निर्देश दिये गये थे।

इस प्रकार से देखा जाता है कि मानव/सभी जीव जन्तु और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। अतः पर्यावरण के संरक्षण के बिना दूसरे की कल्पना करना ही व्यर्थ है। इसलिए प्राचीन काल से ही प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए कहा गया है। आज के आधुनिक युग में जहाँ पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा, जिसका दुष्परिणाम विश्व देख रहा है। अतः उपरोक्त वर्णित उपायों को अपना कर पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित कर सकते हैं जो एक सुनहरा कदम होगा। जिससे आज की मानव जाति तो स्वस्थ एवं संतुलित पर्यावरण का लाभ तो पाएगा ही आने वाले पीढ़ियों के लिए भी कल्याण कारी होगा। भारतीय जीवन बीमा का एक स्लोगन है – “जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी”। यदि पर्यावरण का उचित संरक्षण और प्रबंधन किया जाय तो उपरोक्त कथन अवश्य ही चरितार्थ होगा।

**संदर्भ :-**

1. पाल-गुसाई, 2017 : 107–109।
2. Park C.C. 1980: Ecology and Environmental Management, London.
3. Herskovits, M.J: Man and His works.
4. अथर्ववेद 12.1.12।
5. ऋग्वेद 5.41,11–12।
6. श्रीमद्भागवत 10.22, 32।
7. यजुर्वेद 6, 22।
8. चरक संहिता, विमान स्थान 3.11।
9. गोस्वामी तुलसीदास-रामचरित मानस।
10. मत्स्य पुराण 154.592।
11. अनुदान मांग 2023–24, मांग सं0 28, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पी आर एस।
12. [https://media.istockphoto.com/id/499291496/photo/trees-in-hands-with-nature-abstract-background.jpg?s=170667a&w=0&k=20&c=LPjRrQEFxjoAAqfUwFB0MtX2ukZ7ujTzkqQQQMPL63I= \(Image\).](https://media.istockphoto.com/id/499291496/photo/trees-in-hands-with-nature-abstract-background.jpg?s=170667a&w=0&k=20&c=LPjRrQEFxjoAAqfUwFB0MtX2ukZ7ujTzkqQQQMPL63I= (Image).)